न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/71/2025

अपींलाट धन्नाराम पुत्र श्री उतमाराम
निवासी ग्राम लूणाड़ा तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 18.06.2025

अपीलांट धन्नाराम पुत्र श्री उतमाराम निवासी ग्राम लूणाड़ा तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 31.05.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 26.03.2025 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब में अंकित किया कि अपीलांट को कार्यालय के पत्र क्रमांक 748 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर दिया गया है लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं सूचना का अधिकार प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना स्पष्ट नहीं होने से सूचना का संदाय नही किये जाने से प्रार्थना–पत्र का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवलोकन एवं विवेचन उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलांट एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर